

इदाते आयोग की रपिर्ट

प्रलिमिंस के लिये:

[राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग \(NHRC\)](#), [इदाते आयोग की रपिर्ट](#), भारत में वमिक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू जनजातियाँ (NT, SNT और DNT), [अनुसूचित जनजातियों के लिये राष्ट्रीय आयोग](#)

मेन्स के लिये:

अनुसूचित जनजातों के लिये राष्ट्रीय आयोग की भूमिका, अनुसूचित जनजातों की समस्याएँ, इदाते आयोग की रपिर्ट की सफ़ारिशों की प्रासंगिकता

[स्रोत: द हद्दि](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग \(NHRC\)](#) ने [भारत में वमिक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू जनजातियों \(NT, SNT और DNT\)](#) की चिंताओं को दूर करने के लिये [इदाते आयोग की रपिर्ट की सफ़ारिशों](#) को क्रियान्वित करने के महत्त्व पर ज़ोर दिया।

- NHRC ने सरकार से [आभ्यासिक अपराधी अधिनियम, 1952 \(Habitual Offenders Act, 1952\)](#) को नरिसूत करने या अधिनियम के तहत अनविरय नोडल अधिकारियों के साथ गैर-अधिसूचित जनजातों समुदाय से एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का आग्रह किया।
 - इसके अतिरिक्त, इसने SC/ST/OBC श्रेणियों से DNT/NT/SNT को बाहर करने और उनके लिये अनुरूप नीतियाँ बनाने की सफ़ारिश की।

इदाते आयोग (Idate Commission) की प्रमुख सफ़ारिशें क्या थीं?

- **परचिय:**
 - इसकी **स्थापना वर्ष 2014** में वमिक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू जनजातियों (DNT) की एक राज्यव्यापी सूची संकलित करने के लिये **भीकू रामजी इदाते** के नेतृत्व में की गई थी।
 - एक अन्य आदेश [अनुसूचित जाति \(SC\)](#), [अनुसूचित जनजाति \(ST\)](#) और [अन्य पछिड़ा वर्ग \(OBC\)](#) श्रेणियों से बाहर रखे गए लोगों की पहचान और उनकी भलाई के लिये कल्याणकारी उपायों की सफ़ारिश करना था।
- **सफ़ारिशें:**
 - SC/ST/OBC सूची में चहिनति नहीं किये गए व्यक्तियों को OBC श्रेणी में नरिदषिट किया जाए।
 - अत्याचारों को रोकने और समुदाय के सदस्यों के बीच सुरक्षा की भावना को बहाल करने के लिये [अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति \(अत्याचार नविरण\) अधिनियम, 1989](#) में तीसरी अनुसूची को शामिल करके वैधानिक तथा संवैधानिक सुरक्षा उपायों को बढ़ाना।
 - DNT, SNT और NT के लिये कानूनी स्थिति वाले एक **स्थायी आयोग** का गठन किया जाए।
 - महत्त्वपूर्ण आबादी वाले राज्यों में इन समुदायों के कल्याण के लिये **एक अलग वभाग** बनाए जाएँ।
 - **DNT परिवारों** की अनुमानित संख्या और वितरण नरिधारित करने के लिये **उनका गहन सर्वेक्षण** किया जाए।

वमिक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू जनजातियाँ कौन हैं?

- **परचिय:**
 - इन्हें 'वमिक्त जाति' के नाम से भी जाना जाता है। ये समुदाय सबसे अधिक असुरक्षित और वंचित हैं।
 - ब्रिटिश शासन के दौरान **आपराधिक जनजाति अधिनियम, 1871** जैसे कानूनों के तहत गैर-अधिसूचित समुदायों को 'जनमजात अपराधी' के रूप में अधिसूचित/अंकित किया गया था।
 - उन्हें **वर्ष 1952 में भारत सरकार** द्वारा आधिकारिक तौर पर गैर-अधिसूचित कर दिया गया था।

- इनमें से कुछ समुदाय जिन्हें गैर-अधिसूचित के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, वे भी घुमंतू थे।
 - **घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू समुदायों** को उन लोगों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो हर समय एक ही स्थान पर रहने के बदले एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं।
- ऐतिहासिक रूप से, घुमंतू जनजातियों और गैर-अधिसूचित जनजातियों को कभी भी **नर्जी भूमिया गृह स्वामित्व तक पहुँच नहीं** थी।
- अधिकांश DNT **अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पछिड़ा वर्ग (OBC)** श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं, कुछ DNT अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) या अन्य पछिड़ा वर्ग (OBC) श्रेणियों में से किसी में भी शामिल नहीं हैं।
- **NT, SNT और DNT समुदायों के लिये प्रमुख समितियाँ/आयोग:**
 - संयुक्त प्रांत (अब उत्तर प्रदेश) में **आपराधिक जनजाति जाँच समिति, 1947** का गठन किया गया।
 - **नंतशयनम आयोग समिति, 1949**
 - इस समितिकी अनुशांसा के आधार पर **आपराधिक जनजाति अधिनियम, 1971** को नरिसूत कर दिया गया।
 - **काका कालेलकर आयोग** (जसि पहला ओबीसी आयोग भी कहा जाता है) का गठन वर्ष 1953 में किया गया था।
 - **बी.पी. मंडल आयोग, 1980**
 - आयोग ने NT, SNT और DNT समुदायों के मुद्दे से संबंधित कुछ सफ़िराशिन भी कीं।
 - **राष्ट्रीय संविधान कार्यकरण समीक्षा आयोग (National Commission to Review the Working of the Constitution - NCRWC), 2002** ने माना कि **DNT को गलत तरीके से अपराध प्रवण माना गया है** और उनके साथ गलत व्यवहार किया गया है। साथ ही कानून और व्यवस्था एवं सामान्य समाज के प्रतिनिधियों द्वारा शोषण किया जाता है।
- **वतिरण:**
 - भारत में, लगभग **10% आबादी** NT, SNT और DNT समुदायों से बनी है।
 - जहाँ वमिक्त जनजातियों की संख्या लगभग 150 है, वहीं घुमंतू जनजातियों की जनसंख्या में लगभग 500 वभिनि समुदाय शामिल हैं।
 - यह अनुमान लगाया गया है कि **दक्षिण एशिया में वशि्व की सबसे बड़ी खानाबदोश आबादी है।**

घुमंतू जनजातियों के सामने क्या चुनौतियाँ हैं?

- **बुनियादी अवसंरचना सुविधाओं का अभाव:** इन समुदायों के सदस्यों के पास पेयजल, आश्रय और स्वच्छता आदि संबंधी बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं। इसके अलावा ये स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा जैसी सुविधाओं से वंचित रहते हैं।
- **सामाजिक सुरक्षा कवर का अभाव:** चूँकि इन समुदायों के लोग प्रायः यात्रा पर रहते हैं, इसलिये इनका कोई स्थायी ठिकाना नहीं होता है। नतीजतन उनके पास सामाजिक सुरक्षा कवर का अभाव होता है और उन्हें **राशन कार्ड, आधार कार्ड** आदि भी नहीं जारी किया जाता है।
- **स्थानीय प्रशासन का दुर्व्यवहार:** वमिक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू समुदायों के संबंध में प्रचलित गलत तथा अपराधिक धारणाओं के कारण आज भी उन्हें स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जाता है।
- **संदिग्ध (Ambiguous) जातिवर्गीकरण:** इन समुदायों के बीच **जातिवर्गीकरण बहुत स्पष्ट नहीं** है, कुछ राज्यों में इन समुदायों को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाता है, जबकि कुछ अन्य राज्यों में उन्हें **अन्य पछिड़े वर्ग (OBC)** के तहत शामिल किया जाता है।

इन जनजातियों के लिये क्या वकिसात्मक प्रयास किये गए हैं?

- **DNT के लिये डॉ. अंबेडकर प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्त:**
 - यह **केंद्रीय प्रायोजित योजना** वर्ष 2014-15 में वमिक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू जनजाति (DNT) के उन छात्रों के कल्याण हेतु शुरू की गई थी, जो **अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पछिड़ा वर्ग (OBC)** श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते हैं।
 - DNT छात्रों के लिये **प्री-मैट्रिक छात्रवृत्त** की योजना DNT बच्चों, वशिषकर लड़कियों के बीच शिक्षा का प्रसार करने में सहायक है।
- **DNT बालकों और बालिकाओं हेतु छात्रावासों के निर्माण संबंधी नानाजी देशमुख योजना:**
 - वर्ष 2014-15 में शुरू की गई यह केंद्र प्रायोजित योजना, राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेशों/केंद्रीय वशिष्वविद्यालयों के माध्यम से लागू की गई है।
 - इस कार्यक्रम का लक्ष्य उन DNT छात्रों को छात्रावास आवास प्रदान करना है जो SC, ST या OBC की श्रेणियों में नहीं आते हैं।
 - इस सहायता का उद्देश्य उनकी उच्च शिक्षा को आगे बढ़ाने में सुविधा प्रदान करना है।
- **DNT के आर्थिक सशक्तीकरण हेतु योजना:**
 - इनका उद्देश्य **निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षा कोचिंग**, स्वास्थ्य बीमा, आवास सहायता तथा आजीविका पहल प्रदान करना है।
 - इसके तहत वर्ष 2021-22 से शुरू होने वाले पाँच वर्षों में 200 करोड़ रुपए के व्यय को सुनिश्चित किया गया।
 - **DWBDNC** (गैर-अधिसूचित, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू समुदायों के लिये वकिसा तथा कल्याण बोर्ड) को इस योजना के कार्यान्वयन का कार्य सौंपा गया।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC)

- **परचिय:**
 - यह जीवन, स्वतंत्रता, समानता, व्यक्तियों की गरमा से संबंधित अधिकारों तथा भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत अधिकारों एवं भारतीय न्यायालयों द्वारा कार्यान्वयन करने योग्य **अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों** की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
- **गठन:**
 - इसका गठन **मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993** के तहत 12 अक्टूबर 1993 को किया गया।
 - मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2006 और मानव अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा संशोधित।
 - इसका गठन **पेरिस सिद्धांतों** के अनुरूप हुआ जिन्हें मानवाधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिये अंगीकृत किया गया।

■ **संघटन:**

- आयोग में एक अध्यक्ष, पाँच पूर्णकालिक सदस्य तथा सात मानद सदस्य शामिल होते हैं।
- अध्यक्ष भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश अथवा सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है।

■ **नयुक्ति एवं कार्यकाल:**

- आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नयुक्ति छह सदस्यीय समिति की अनुशंसाओं पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, संसद के दोनों सदनों में वपिक के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होते हैं।
- अध्यक्ष और सदस्य **तीन वर्ष की अवधि के लिये अथवा 70 वर्ष की आयु तक** पद पर बने रहते हैं।

■ **भूमिका तथा कार्य:**

- इसके पास **न्यायिक कार्यवाही सहित सविलि न्यायालय की शक्तियाँ** होती हैं।
- मानवाधिकार उल्लंघनों की जाँच के लिये केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधिकारियों अथवा अन्वेषण अभिकरणों की सेवाओं का उपयोग करने का अधिकार।
- मामलों के घटित होने के एक वर्ष के भीतर उनकी जाँच कर सकता है।
- इसके कार्य मुख्यतः अनुशासनात्मक प्रकृति के होते हैं।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????:

प्रश्न. भारत के 'चांगपा' समुदाय के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों पर वचिार कीजयि: (2014)

1. वे मुख्य रूप से उत्तराखंड राज्य में रहते हैं।
2. वे पश्मीना बकरियों को पालते हैं जनिसे उन्नत ऊन प्राप्त होता है।
3. इन्हें अनुसूचति जनजातकी श्रेणी में रखा गया है।

उपरयुक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

??????:

प्रश्न. स्वतंत्रता के बाद अनुसूचति जनजातियों (ST) के प्रतभेदभाव को दूर करने के लयि राज्य द्वारा की गई दो प्रमुख वधिकि पहलें क्या हैं? (2017)